


10.07.2024:—पत्रावली पेशी मे ली आई। प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं आए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि अधिवक्ता द्वारा पत्रावली मे कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं हो रही है। प्रार्थी पक्ष से चाही कई कार्यवाही नहीं हो रही है। प्रकरण 2013 से लंबित है लगातार तलबी स्तर पर चल रहा है। प्रार्थी अधिवक्ता को बार बार हिदायत दी गई। तलबी के लिए पावन्द किया गया। उपस्थित नहीं आए। प्रार्थीगण व प्रार्थीगण अधिवक्ता को बार बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। प्रार्थीगण व प्रार्थीगण अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थना-पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
इनुमानगढ़

